



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

अज्ञात

विद्यार्थी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनिपत आदेश)

देहरादून, मंगलवार, 05 अगस्त, 2025 ई०

श्रावण 14, 1947 शक संवत्

उत्तराखण्ड शासन

वन अज्ञात-3

संख्या 1318/X-3-25/1(07)/2023-ई०-47198
देहरादून, 05 अगस्त, 2025

अधिसूचना

40 आ०-52

सत्यपाल, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम संख्या-16 वर्ष 1927) की धारा 29 की उपधारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रयोजनार्थ जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र रानीखेत में बिल्लेख से अवेडंकर ग्राम गौरा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु हस्ताक्षरित 01.68 ई० वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु विलेखिकाही, अल्मोड़ा द्वारा वन विभाग की हस्ताक्षरित की गयी राज्य सरकार के स्वाभिमूल की श्रेणी-9(3)उ (अन्य कारणा से वन भूमि) 03.360 ई० भूमि, जिसका विवरण नीचे तालिका में दिया गया है, को वन भूमि के साथ-साथ संरक्षित वन घोषित करने हेतु:-

तालिका

क्र०	जिला	ग्राम	पट्टी	खाला	खसरा सं०	क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु अधिनियम 1960 (20) के तहत	ग्राम की लक्ष्य	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)
								1.	अल्मोड़ा	गैरा	जैना	10	629 (1.168)	631 (1.190)	665 (1.002)

Boundary should be demarcated on the field and boundary pillars shall be constructed.

The area mentioned in table above is free from the claim of any rights and concessions, to be transferred in the name of the Forest Department in the land records.

By Order,

KAHKASHAN NASEEM,

Additional Secretary.